संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 8 वि. 2075

जीवन में प्रवाह बनाए रखने से ही नई ऊर्जा और उत्साह मिलता रहता है

सख्त उपायों की जरूरत

भीड़ की हिंसा के मामलों पर न तो केवल चिंता जताने से बात बनने वाली है और न ही सोशल मीडिया पर दोष मढ़ने से। केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि वह भीड़ की हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने में अपनी प्रभावी सक्रियता का परिचय दे। निःसंदेह कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय होने के नाते यह देखना मूलतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि भीड़ की हिंसा के मामले थमें, लेकिन किसी जरिये केंद्र सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों का पुलिस प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सजगता का परिचय दे। यह इसलिए और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में करीब 20 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दल की सरकारें हैं। अच्छा यह होगा कि केंद्र सरकार इसके लिए समुचित कदम उठाए कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की ओर से शासित राज्य उन दिशानिर्देशों पर अमल अवश्य करें जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों की वैसी अनदेखी नहीं होनी चाहिए जैसी पुलिस सुधारों संबंधी दिशानिर्देशों की हुई थी। यदि पुलिस सुधारों संबंधी दिशानिर्देशों पर समय रहते अमल हो जाता तो आज शायद भीड़ की हिंसा के मामले राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं बने होते। यह ठीक नहीं कि केंद्र सरकार के पास भीड़ के हाथों मारे गए लोगों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। कम से कम अब तो यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो भीड़ की हिंसा के मामलों का विवरण रखे। ऐसा कोई विवरण समस्या के कारणों की पहचान करने में सहायक बनेगा।

भीड़ की हिंसा एक ऐसा अपराध है जो अलग-अलग कारणों से अंजाम दिया जाता है। कभी भीड़ अनायास उग्र होकर हिंसा पर आमादा हो जाती है तो कभी उसे सुनियोजित तरीके से भड़काया जाता है। इसी तरह कभी मामूली वाद-विवाद भीड़ को हिंसक बना देता है तो कभी किसी बड़ी घटना के बाद लोगों का उग्र समूह अराजकता के रास्ते पर चल निकलता है। अक्सर ऐसी अराजकता में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल होते हैं। इधर किस्म-किस्म के स्वयंभू संगठन भी बेलगाम हो रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अक्सर ऐसे संगठनों को किसी न किसी राजनीतिक दल का खुला-छिपा समर्थन हासिल होता है। कई बार अफवाह के चलते भी भीड़ का हिंसक और बर्बर रूप देखने को मिलता है। भारत में भीड़ की हिंसा एक पुरानी समस्या है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उससे निपटने के नए उपाय न किए जाएं। भीड़ की हिंसा के खिलाफ सख्ती की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ति हर हाल में होनी चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं को फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाने का तंत्र बनाने को कहा है, क्योंकि उस मानसिकता को भी दूर करने की जरूरत है जिसके चलते लोग कानून हाथ में लेने को तैयार रहते हैं। वे ऐसा इसलिए भी करते हैं, क्योंकि उन्हें बच निकलने का यकीन होता है। ऐसे यकीन के लिए कानून एवं व्यवस्था का लचर तंत्र भी दोषी है।

बुंदेलखंड में बिजलीघर

उत्साह-उमंग और जोश की धरती बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ऊर्जा का केंद्र बनाने की ठानी है। यहां सूरज की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के प्लांट लगाए जाएंगे। सूर्य की किरणें प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले यहां की पथरीली जमीन पर अधिक गर्मी देती हैं, या यूं कहें यहां वर्ष में सबसे अधिक दिनों तक लंबवत रहती हैं। इसलिए क्षेत्र की इस विशेषता का लाभ लेने की अब योजना बनाई गई है। नवीनतम योजना के मुताबिक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाकर यहां पर चार हजार मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। यह प्लांट जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, झांसी और महोबा जिलों में लगाए जाएंगे। इसे ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर फेज-2 कहा जाएगा। सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने का काम यूपी नेडा करेगा। पूरी परियोजना 2023 तक बन कर तैयार हो जाएगी। 2020 से चार साल तक प्रतिवर्ष एक हजार मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित होंगी। इस कॉरीडोर में पैदा होने वाली बिजली को ग्रिड से जोड़ने के लिए 5500 करोड़ रुपये में पारेषण तंत्र विकसित किया जाएगा। पारेषण तंत्र पर आने वाले खर्च का 40 फीसद हिस्सा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वहन करेगा।

> सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बुंदेलखंड की सोलर क्षमता का उपयोग तो होगा ही, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा

हाइड्रो कार्बन ईंधन के कुछ वर्षों में खत्म होने की आशंकाओं के बीच अन्य प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर बिजली बनाने के प्रयास तीन-चार दशकों से बहुत तेजी से चल रहे हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बुंदेलखंड की सोलर क्षमता का उपयोग तो होगा ही, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। आज पर्यावरण को संरक्षित करना, स्वच्छ रखना नागरिकों, सरकारों के दायित्वों में शामिल हो गया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तालिबान से सीधी वार्ता करने का अमेरिका का फैसला सही है?

आज का सवाल

क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव व्यर्थ की कवायद है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बिना मकसद वाली एक बैठक

ए रहमान

मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ राहुल की बैठक को आम मुसलमानों ने आगामी आम चुनाव में मुस्लिम समाज के वोट हासिल करने की कांग्रेस की रणनीति के तौर पर ही देखा

इस वक्त देश का राजनीतिक वातावरण पूरी तरह गरमाया हुआ है। नेताओं की हर गतिविधि को आगामी आम चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। उर्दू समाचार पत्र 'इंकिलाब' में छपी खबर 'कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है' को लेकर जो राजनीतिक कोलाहल शुरू हुआ वह थमता नहीं दिखाई दे रहा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुसलमानों को भी। कांग्रेस ने अधिकारिक तौर से एलान किया था कि राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलकर बात करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों का मसीहा होने का दावा किया है, लेकिन इसकी कोई तफसील सामने नहीं आई कि सिर्फ 'मुस्लिम बुद्धिजीवियों' को बुलाकर उनसे किन मुद्दों पर बात की जाएगी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी के अल्पसंख्यक सेल ने किन लोगों को 'बुद्धिजीवी' और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि समझा। जो सूची जारी की गई उसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी और शबनम हाशमी इत्यादि के नाम भी थे, लेकिन इनमें से कोई उस बैठक में शामिल नहीं था। मुसलमानों के संदर्भ में आजकल जो मुद्दे गर्म हैं उनमें तीन तलाक का विधेयक है, जिसे अभी राज्यसभा से पारित होना है। इसके अलावा निकाह हलाला और बहुविवाह का मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम महिलाओं का सशक्तीकरण है, जिस पर बहुत काम होना शेष है। बड़े हैरत की बात है कि जमीयत-ए-उलमा जमात-ए-इस्लामी, मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से किसी को भी इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। अच्छी-बुरी जैसी भी हैं, यही संस्थाएं मुस्लिम दृष्टिकोण और भारतीय मुसलमानों की समस्याएं जनता और सरकार के सामने लाती हैं। यही मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में उलमा से दिल लगाकर बड़ी चोट खाई थी इसलिए राहुल अपने पिता के तल्ख तजुर्बे को देखते हुए मुल्ला-मौलानाओं से दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन यह धारणा सही नहीं। यह कहना कि राजीव गांधी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का प्रयास किया, बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को सबसे अधिक नुकसान तो राजीव गांधी के हाथों ही तब पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो केस पर फैसला आने के बाद मुसलमानों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का सशक्तीकरण करने वाले इस फैसले को निरस्त कर दिया। इस धर्मनिरपेक्ष फैसले को निरस्त करने के लिए राजीव सरकार ने मुस्लिम महिला संरक्षण संबंध अधिनियम बनाकर मुस्लिम समुदाय को सौ साल पीछे धकेल दिया। राहुल की बैठक में जो 10-12 मुसलमान 'बुद्धिजीवी' राहुल गांधी की मीटिंग में पहुंचे उनमें से अधिकतर एक-दूसरे से परिचित भी नहीं थे और उन्हें राहुल एवं एक-दूजे से परिचित कराने का काम सलमान खुर्शीद ने अंजाम दिया। इस बैठक का एजेंडा तय न होने के कारण काफी समय तक लोग यह फैसला नहीं कर सके कि बात कहां से और किस मुद्दे से शुरू की जाए। इस बैठक में शामिल रहे मेरे एक दोस्त के मुताबिक डेढ़ घंटे तक सिवाय गप्पें मारने के कोई खास बात नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने एएमयू और उर्दू जैसे विषयों पर बात करनी चाही तो इरफान हबीब (एएमयू के इतिहासकार नहीं) ने उन्हें यह कह कर रोक दिया कि हम यहां सेक्युलर विषयों पर बात करेंगे। इस पर हैरान थे कि अगर सेक्युलर विषय पर बात करनी थी तो केवल मुसलमानों को ही क्यों आमंत्रित किया गया? चूंकि बैठक का कोई एजेंडा नहीं था इसलिए कोई प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ। जो दो-चार बातें मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर हुईं उसी सिलसिले में राहुल ने कथित तौर पर कहा, 'हां, मुसलमान कांग्रेस को अपनी पार्टी समझें।' जाहिर है कि इसी आधार पर खबर छपी और उसे लेकर हंगामा मचा।

अवधेश राजपूत

इस बैठक की पृष्ठभूमि भी समझनी होगी। पिछले दिनों सलमान खुर्शीद ने यह बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। पार्टी ने फौरन इस बयान से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद यहां तक कहा जाने लगा कि अब खुर्शीद का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में चला गया, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि मुसलमानों को कांग्रेस के करीब लाने का प्रयास करें। इसी सिलसिले में खुर्शीद ने पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद को एक सूची देकर कहा कि इन लोगों को राहुल जी से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सूची में अबू सालेह, फराह नकवी और रक्षांदा जलील के अलावा कोई नाम ऐसा नहीं जिसने मुसलमानों की समस्याओं पर अध्ययन किया हो। ऐसा तो एक भी नहीं था जिसे मुसलमान अपना नेता या प्रतिनिधि मानते हों।

पिछले 10-15 साल में कांग्रेस और मुसलमानों के रिश्ते में जो बदलाव आया है वह किसी से छिपा नहीं है। पढ़े-लिखे मुसलमान इस बात को भली-भांति समझने लगे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों से झूठे वादे किए। मुसलमानों को जितने भी बड़े-बड़े नुकसान हुए वे कांग्रेस के राज में ही हुए। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस ने मुसलमानों का यही बड़ा नुकसान किया कि उसने मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें मनोनीत किया। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रमुख नदीम जावेद ही एक उदाहरण हैं। हो सकता है पार्टी में उनका ऊंचा कद हो, लेकिन अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले उन्हें आम मुसलमान जानते नहीं थे। नेता तो वही हो सकता है जो समाज या समुदाय में गहरी जड़ें रखता हो। कांग्रेस ने हमेशा खुद अपने चुने हुए नेताओं को मुसलमानों पर थोपा है।

हालांकि इंकिलाब में खबर छपने के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने खंडन किया, लेकिन जावेद ने पुष्टि करते हुए कहा कि राहुल जी ने साफ कहा था कि कांग्रेस कमजोर और दबे हुए लोगों की पार्टी है और मुसलमान भी कमजोर और दबे हुए हैं इसलिए कांग्रेस उनकी भी पार्टी है। इस स्पष्टीकरण ने मुसलमानों को खुश कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका एक कारण तो यही है कि राहुल से मिलने वाले मुस्लिम नेता नहीं थे। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आम मुसलमानों ने इस बैठक को 2019 में होने वाले आम चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने की कांग्रेस की रणनीति के तौर पर ही देखा। मुसलमानों को यह शिकायत हमेशा रही है कि उन्हें हर पार्टी केवल वोट के तौर पर ही देखती है। सच यह है कि मुसलमान इस बैठक का न तो मतलब समझ पाए और न ही मकसद। यही कारण है कि इतना बड़ा सियासी हंगामा होने पर भी मुसलमानों की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। आम मुसलमानों का साथ कांग्रेस को तब मिल सकता है जब वह उनकी समस्याओं के समाधान को अपना चुनावी मुद्दा बनाए और इसी आधार पर मुसलमानों से वोट मांगे। मुस्लिम समाज के कथित नेताओं और बुद्धिजीवियों से राहुल गांधी की मुलाकात कराकर यह तो हो सकता है खुर्शीद ने अपनी स्थिति ठीक कर ली है, लेकिन इस मुलाकात से आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिला।

(लेखक आलमी उर्दू ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

हिमा दास के बहाने भाषा की बात

कृपाशंकर चौबे

हिमा दास की अंग्रेजी पर गौर किए जाने से यही पता चला कि अंग्रेजी अभी भी श्रेष्ठता का परिचायक बनी हुई है

फिनलैंड में ट्रैक एंड फील्ड विश्व चैंपियनशिप के चार सौ मीटर मुकाबले में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली हिमा दास की अंग्रेजी पर टिप्पणी करने के बाद खेद जताने के साथ ही मामले को खत्म मान लिया गया, लेकिन इस पर विचार की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी अंग्रेजी ज्ञान पर गौर क्यों किया गया? इस सवाल पर व्यापक विचार-विमर्श इसलिए जरूरी है, क्योंकि तभी उस मानसिकता को दूर किया जा सकता है जिसके तहत अपने देश में अंग्रेजी में दक्षता विशिष्टता का पर्याय बन गई है। दुनिया में बहुत से ऐसे खिलाड़ी, कलाकार और यहां तक कि लेखक हैं जो अंग्रेजी में दक्ष नहीं, लेकिन उनकी कमजोर अंग्रेजी कभी मुद्दा नहीं बनती, लेकिन भारत में ऐसा खूब होता है। यह अंग्रेजी से उपजी अंग्रेजियत का दुष्परिणाम है। हिमा दास की अंग्रेजी पर जिस तरह गौर किया गया उससे यही पता चलता है कि अपने देश में अंग्रेजी किस तरह व्यक्तित्व विकास में एक बड़ी बाधा है। हिमा दास के लिए अंग्रेजी में दक्ष होना इसलिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं, क्योंकि उनका काम अंग्रेजी बोलना नहीं, बल्कि ट्रैक पर दौड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। उन्होंने फिनलैंड में यही किया। वह पहली ऐसी धावक बनीं जिन्होंने किसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि के लिए हिमा को बधाई जरूर दी, किंतु उनके धाराप्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाने का उल्लेख भी किया। उस ट्वीट की जब आलोचना हुई तो फेडरेशन ने उस पर खेद जताया। इस खेद के बाद भी यह तो पता चल ही गया कि अपने देश में अंग्रेजी अभी भी श्रेष्ठता का परिचायक बनी हुई है और लोगों की बड़ी से बड़ी उपलब्धि को अंग्रेजी के चश्मे से आंका जाता है।

असम के नगांव जिले के कंडोलीमारी गांव के एक अत्यंत साधारण परिवार से आने वाली हिमा दास ने पूरे विश्व में असम और भारत का मान बढ़ाया। शायद खुद की अंग्रेजी पर गौर किए जाने के कारण ही हिमा ने यह कहा कि वह धाराप्रवाह अंग्रेजी भले न बोल पाती हो, किंतु आइएएफ विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। जाहिर है कि तभी 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय बनीं। हिमा को धाराप्रवाह अंग्रेजी न आने का कोई अफसोस नहीं है तो इसीलिए कि एथलीट के लिए वह न तो कोई आवश्यकता है और न ही कोई मानदंड। हिमा को अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने देश से कितना प्रेम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खिताब जीतने के बाद वह न तिरंगा भूलीं और न ही

असमिया गमछा। हिमा उस प्रदेश से आती है जहां मातृभाषा प्रेम के लिए शहादत की ऐतिहासिक घटना हुई थी। असम के सिलचर में राज्य की सरकारी भाषा के रूप में असमिया के अलावा बांग्ला को भी शामिल करने की मांग को लेकर 1961 में आंदोलन हुआ था। सिलचर रेलवे स्टेशन पर 19 मई 1961 को आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें 11 लोग मारे गए थे। उसके बाद हर साल असम में 19 मई को भाषा दिवस मनाया जाता है।

इतिहास में प्रेम और देश के लिए शीश चढ़ाने के कई उदाहरण मिलते हैं, किंतु मातृभाषा के लिए शीश चढ़ाने की विरल घटना सिलचर में हुई थी। वैसी ही घटना पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हुई थी। बांग्ला भाषा के मान की रक्षा के लिए ढाका में 21 फरवरी 1952 को चार लोग शहीद हुए थे। उसके बाद विश्व भर में मातृभाषा प्रेमी खासकर बांग्लाभाषी उस दिवस को भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाकर भाषा-शहीदों का स्मरण करते हैं। भाषा दिवस और मातृभाषा दिवस असम, बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश में एक गहरे नैतिक आवेग के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश के लेखक महबूब उल आलम चौधरी ने ढाका की घटना पर कविता लिखी थी-'रोने नहीं आया हूं, फांसी की मांग लेकर आया हूं।' हसन हफीजुर्रहमान की कविता का शीर्षक ही है-'अमर इक्कीस।' अब्दुल गफ्फार चौधरी का गीत है-'मेरे भाइयों के रक्त में रंगी इक्कीस फरवरी।' गौरतलब है कि 21 फरवरी 1952 को ढाका मेडिकल कॉलेज के उस प्रांगण में लोगों का तांता लग गया था, जहां लोग भाषा शहीद हुए थे। शहादत स्थल पर जमा लोगों ने रातोंरात एक शहीद मीनार भी बनाई थी। भारी संख्या में हर भाषा, संप्रदाय, धर्म के लोगों के जुटने से एक शक्ति बन गई। शोक ने बांग्ला भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए शक्ति जुटाने का काम किया। 21 फरवरी हर बांग्लाभाषी के जीवन संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक बन गया और स्रोत भी। भाषा से संस्कृति, संस्कृति से स्वायत्तता और स्वायत्तता से स्वाधीनता की मांग उठी। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान के भाषा आंदोलन ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का रूप लिया और विश्व के मानचित्र पर एक नए देश का उदय हुआ।

भाषा शहीद दिवस और भाषा दिवस से प्रेरणाएं लेने के लिए बहुत कुछ है। इन दिवसों की प्रेरणाएं अपनी भाषा, साहित्य-कला-संस्कृति के प्रति सच्चे प्रेम के रूप में हो सकती हैं। भारत की आधी से अधिक आबादी हिंदी भाषियों की है। भारत में हिंदी भाषी दस राज्य हैं, किंतु उस समाज में अपनी भाषा, साहित्य-कला-संस्कृति के प्रति सच्चे प्रेम का अक्सर अभाव दिखता है। हिंदी समाज में अपनी भाषा से सच्चे मन से प्रेम करने वाले होते तो हिंदी समाज जातियों में नहीं बंटा होता। साहित्य-कला-संस्कृति क्या हिंदी पट्टी के शिक्षित समाज के संस्कार का हिस्सा बन पाई है? जबकि हिंदी पट्टी में अनेक अनपढ़ लोगों में कला-संस्कृति का संस्कार बचा हुआ है। वे अनपढ़ लोग लोकगीत गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं, नाटक खेलते हैं।

हिंदी पट्टी के सांस्कृतिक विकास की विडंबना है कि वहां जन संस्कृति की अनवरत उपेक्षा की गई है। पाठन वृत्ति और जिज्ञासु भाव को किनारे होने दिया गया है। पढ़ने का संस्कार परिवार में रोपा जाता है, फिर स्कूल-कॉलेज में उसे सींचा जाता है, पर क्या ऐसा हो रहा है? बांग्लाभाषी जिस तरह अपनी भाषा के सांस्कृतिक नायकों को सिर आंखों पर बिठाते हैं, वैसा हिंदी समाज के लिए अभी स्वप्न जैसा है। मातृभाषा को अपने समाज में पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे। हिंदी के जातीय तत्वों को पुनर्गठित करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए दूसरा कोई पथ नहीं है। कोई भाषा ही उस भाषाभाषी समाज की आशा होती है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कोलकाता केंद्र में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बंधन और मोक्ष

दो मार्ग हैं-एक बंधन का मार्ग और दूसरा मोक्ष का मार्ग। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि मृत्यु के बाद जब शरीर रूपी बंधन से मुक्ति मिलती है तब मोक्ष मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाभारत में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते हुए और उन कर्मों को मन से परमसत्ता को अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वह इसी जीवन में मोक्ष पा लेता है। दरअसल कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेक बंधनों को काटना पड़ता है जिनमें लोभ, मोह व अहंकार प्रमुख हैं। चूंकि बंधन हमेशा दुष्प्रवृत्तियों के ही होते हैं इसलिए उनसे छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है।

यदि यह दूरदर्शिता हमारे मन में बैठ जाए तो मोक्ष का तत्वज्ञान समझते हुए हम जीवन को सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। हमें मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हर व्यक्ति इस परम पुरुषार्थ के लिए कर्म करे। बंधन और मोक्ष में फर्क सिर्फ इतना-सा है कि जब आसुरी संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम बंधन की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन जब दैवीय संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। बंधन का मकड़जाल हमें जकड़े रहता है, लेकिन इससे छुटकारा पाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मोक्ष जरूरी है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसमें क्रोध, मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका निर्णय समाज हित में होना चाहिए।

महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन इसके लिए श्रीकृष्ण ने पांडवों के मन में द्वेष नहीं, बल्कि अखंड भारत के कल्याण की भावना जगाई और एक संस्कारी राजा का आदर्श रखते हुए ईश्वर के लिए कर्म करने की भावना जगाकर युद्ध करने को कहा। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को जीवन जीने की कला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, सुनने व मनन की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। स्पष्ट है कि मोक्ष मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी भी पाया जा सकता है। जब आप ईश्वर को समर्पित कर कोई कार्य करते हैं तो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।

आचार्य अनिल वत्स

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

औचित्यहीन प्रस्ताव

शरई अदालत का बेतुका प्रस्ताव शीर्षक से लिखे अपने लेख में ए. सूर्यप्रकाश ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरई अदालतों की स्थापना को बेतुका और निराधार प्रस्ताव करार दिया है। देश में धर्मनिरपेक्षता के कारण सभी धर्मों को अपने रीति-रिवाजों के अनुपालन की पूरी आजादी है, लेकिन जिस आधार पर देश में शरई अदालतों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है यह एक तरह से संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार का उल्लंघन है और धर्म के आंतरिक अंतर्विरोध का कारण भी, क्योंकि आज जिस तरह से बरेली में हलाला को शरई कानून का हिस्सा बताकर आला हजरत दरगाह से निदा खान के खिलाफ हुक्का पानी बंद करने का जो फतवा जारी किया गया है उसे कभी धर्म की दुहाई देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। शरई कानून के तहत यदि पत्नी तीन तलाक के बाद पुनः अपने शौहर से निकाह करना चाहे तो उसे पहले किसी अन्य मर्द से निकाह कर तीन तलाक की प्रथा को निभाना होगा। तत्पश्चात ही वह अपने पहले पति से निकाह के योग्य है। इसे ही इस्लाम में हलाला की संज्ञा दी जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले को इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। बस इसी का दंश निदा को झेलना पड़ रहा है, लेकिन शरई कानूनों की आड़ में होने वाले अत्याचार ही निदा के विरोध का कारण हैं। वैसे भी तीन तलाक, हलाला, बहुविवाह और पर्दाप्रथा जैसे मुद्दे बरसों पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से कम नहीं हैं। जिन्होंने सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार को ही बढ़ावा दिया। ऐसे में इन मुद्दों को धार्मिक कट्टरता की निगाह से नहीं, अपितु महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की निगाह से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह धर्मांधता ही है जो इंसान की आजादी छीनने की कोशिश करती है। जब परिस्थिति के अनुसार इंसान बदल सकता है तो कानून क्यों नहीं? हमारे देश में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आपस में भाई-भाई होने की संज्ञा दी जाती है। एकेश्वरवाद की बलपूर्वक व्याख्या की जाती है। और संविधान ने सभी धर्मों के व्यक्तियों को समान अधिकार भी प्रदान किया है। फिर समान नागरिक संहिता के इतर शरई अदालतों की मांग का क्या औचित्य? सिर्फ धार्मिक कुरीतियों को ढोकर हम कभी धर्म की रक्षा नहीं करते, बल्कि इंसानियत और मानवाधिकारों पर भी कुठाराघात करते हैं। देश में इसका समाधान सिर्फ समान नागरिक संहिता ही हो सकती है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

कैसा अविश्वास प्रस्ताव ?

आंध्रप्रदेश की सत्तारूढ़ टीडीपी व एनडीए की पूर्व सहयोगी ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा ना देने पर आखिरकार संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सिद्ध कर दिया कि राज्य की जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है? पहले राज्य में सत्ता सुख भोगा, जनता से जब वोट मांगने का समय आया तो कह दिया कि हम राज्य के हक की लडाई लड़ रहे थे। कैसी विचित्र लड़ाई है? सर्वविदित है कि संसद में संख्या बल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन गठबंधन की ताकत जनता को दिखाना केवल अविश्वास प्रस्ताव का मकसद है।

दीपक गौतम, सोनीपत

बेरोजगारी की समस्या

राजस्थान में महज 13 हजार कान्स्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए करीब 15 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर है। सरकार बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने के लिए गृह जिले छोड़ दूर-दूर तक के जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाया गया।

mkumar.sidhmukh@gmail.com

पहले पार्टी को ठीक करें राहुल

बेशक कांग्रेस महागठबंधन की छत्रछाया में सत्ता की चौखट तक पहुंचने का सपना देख रही है, लेकिन लगता है उसके बड़बोले नेता ही कांग्रेस का बंटाधार करने को उतारू हैं। शशि थरूर ने हिंदू पाकिस्तान के बाद हिंदू तालिबान का राग अलाप कर कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने का ही काम किया है। हिंदू समुदाय पर तालिबान का ठप्पा लगाना अच्छी मानसिकता का परिचायक नहीं है। निःसंदेह जनता में इसका गलत संदेश गया है। कांग्रेस में एक थरूर ही नहीं, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता हैं जो गाहे-बगाहे गलत बयान देकर पार्टी को पीछे धकेलने का काम करते हैं। कोई शरीयत अदालत का समर्थन करता है तो कोई कुछ और बयान देता है। इन्हीं में कुछ के अंदर कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ आता है। ऐसे आचरण से कांग्रेस के महारथी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका सामना भाजपा से नहीं, बल्कि सीधे नरेंद्र मोदी से होने वाला है। पिछले चुनाव में जनता ने मोदी पर भरोसा जताया था और वह भरोसा अभी तक कायम है। यदि महागठबंधन का सपना साकार हुआ तो उसका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही करेगी। मोदी से पहले कांग्रेस को महागठबंधन की दलीय विषमताओं से निपटना होगा। लेकिन जब कांग्रेस अपने बड़बोले नेताओं पर ही अंकुश नहीं लगा सकती तो विभिन्न विचारधारा वाले महागठबंधन की अंदरूनी समस्याओं से कैसे निपटेगी ? मोदी से मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। यदि राहुल गांधी अगले चुनाव में किसी चमत्कार की उम्मीद पाले बैठे हैं तो यह उनकी भूल होगी। उन्हें सबसे पहले कांग्रेस को दुरुस्त करना होगा और इसके ढीले पुर्जों को कसना होगा।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

ट्वीट-ट्वीट

अगर स्वरा भास्कर सामाजिक बुराइयों को लेकर इतनी चिंतित हैं तो फिर वह शरीयत और बुर्के के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलतीं? या फिर उन्हें सिर्फ हिंदुओं में व्याप्त बुराइयों की ही चिंता है।

मार्कण्डेय काटजू@mkatju

भारत में महिलाएं काम करती हैं और वह भी पुरुषों की तुलना में अधिक मुश्किल काम। अमूमन उनके काम के पैसे नहीं मिलते और जीडीपी में उसकी गणना नहीं होती। यदि भारत में महिलाएं काम करना बंद कर दें तो देश पूरी तरह से ठप हो जाएगा।

शैलजा पटेल@shailjapatel

शिवसेना इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देगी, क्योंकि यह तेदेपा द्वारा लाया जा रहा है। उससे वह इस बात को लेकर खफा है कि एयर इंडिया से उसके सांसद गायकवाड़ के विवाद में तेदेपा के मंत्री रहे अशोक गजपति राजू ने उनकी कोई मदद नहीं की थी।

संजय बरागटा@SanjayBragta

अगर आपको लगता है कि आपको किसी मुस्लिम से बात करने की जरूरत है तो कृपया मुझसे दूर रहिए। यदि आप किसी इंसान को उसकी पहचान से परे देखने में सक्षम नहीं हैं तो समझिए आपके साथ कोई बड़ी समस्या है।

ओमेर अहमद@OmairTAhmad

जनपथ

यहां हलाला कर रहा ससुर बहू के साथ,
इससे बढ़कर क्या भला स्त्री के संग घात?
स्त्री के संग घात न दिखता एक कन्हैया,
जिसे द्रौपदी आज कह सके अपना भैया।
लोग बने निर्लज्ज जप रहे सेकुलर माला,
खवातीन से रोज भले हो यहां हलाला!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 3